कार्यस्थल पर व्यावसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

A STUDY OF PROFESSIONAL VARIATION AND GENDER DISCRIMINATION AT WORK PLACE : IN RELATION TO WOMEN EMPOWERMENT

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

की

पी एच. डी. की उपाधि के लिए प्रस्तावित शोध विषय

शोध–प्रबंध की रुपरेखा

2016

शोध निर्देशक
डॉ. अशोक सेवानी
व्याख्याता
जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

शोधकर्त्ता
कृष्ण प्रकाश माथुर

अजमेर
शिक्षा विभाग
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

शोधकर्त्ता का नाम (अंग्रेजी में) – KRISHAN PRAKASH MATHUR

शोधकर्त्ता का नाम (हिन्दी में) – कृष्ण प्रकाश माथुर

शोधकार्य का शीर्षक (अंग्रेजी में) –

A Study 0f Professional Variation And Gender Discrimination At Work Place : In Relation To Women Empowerment

शोधकार्य का शीर्षक (हिन्दी में) –

कार्यस्थल पर व्यावसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

संस्थान का नाम – जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

स्थिति – अजमेर

4.0 प्रस्तावना :—

महिला सशक्तिकरण को जानने से पूर्व सशक्तिकरण का अर्थ जानना आवश्यक है। सशक्तिकरण को अंग्रेजी में 'Empowerment' कहते है। इसका अर्थ है— 'To give official' या 'Authority of legal power to somebody' या 'to give somebody the strength and confidence to act one their own initiative'. अर्थात् कानूनी तौर पर प्राप्त अधिकार, शक्ति एवं पूर्ण विश्वास व सामर्थ्य के साथ किसी कार्य के लिए स्वयं कोई कार्य कर सकना या निर्णय ले सकना या निर्णय ले सकना ही सशक्तिकरण है।

सशक्तिकरण शब्द में मूल शब्द शक्ति है। इसका अर्थ भौतिक सम्पदा, बौद्धिक स्रोत एवं आदर्शों पर नियंत्रण है। अन्य शब्दों में सशक्तिकरण का अर्थ आन्तरिक शक्तियों का उद्भव तथा विकास जो आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक एवं स्वनिर्णय कर सकने के क्षेत्र में स्वनिर्भरता लाता है। संक्षेप में कहें तो सशक्तिकरण का अर्थ है, समर्थ होना। अर्थात् थोपी गई शक्तिहीनता की दिशा से सामर्थ्यता की दिशा में बढ़ना।

महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है महिला एवं पुरुष दोनों समान या बराबर है और यह बराबरी प्रकृति द्वारा मिली है। अर्थात् महिलाओं के पास भी पुरुषों की तरह ही अपने दिन—प्रतिदिन के सामाजिक, आर्थिक, पारीवारिक एवं राजनीतिक जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक शक्ति या क्षमता का होना जो उन्हें हाशिये से केन्द्र में लाने में समर्थ बना सके।

महिला एवं पुरुष समाज रुपी एक गाड़ी के दो पहिये हैं। इनमें से कोई एक पहिया कमजोर हो तो गाड़ी सुचारु रुप से नहीं चल सकती।

वर्तमान में भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बाद दोयम दर्जे की है। अतः यहाँ महिला सशक्तिकरण होना अति आवश्यक है। यदि हम भारत में नारी की स्थिति देखें तो इस काल के आधार पर प्राचीन काल, मध्य काल, आजादी के पूर्व के काल एवं आजादी के बाद के काल में नारी की बदलती स्थितियों को देखकर वर्तमान परिस्थितियों को समझ सकते हैं।

प्राचीन काल या वैदिक काल में महिलाओं को बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इस युग में महिलाएँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में भागीदारी निभाती थीं। वे यज्ञ में भाग लेती थीं, सामाजिक उत्सवों में भाग लेती

थीं, मंत्रोच्चारण करती थीं, पिता की सम्पत्ति में उसका हक होता था, वह घर की स्वामी होती थी। बिना महिला के धार्मिक कार्य पूरे नहीं होते थे। समाज में उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था। ऐसा कहा जाता था कि '' यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ''

लेकिन मध्य काल तक आते – आते इनकी दशा बद से बदत्तर हो गई। अनेक कुप्रथाओं ने जन्म लिया। नारी शिक्षा बंद कर उन्हें पर्दे या घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या के जन्म लेते ही उसे मार देना, समाज में उसे पुरूषों से नीचा स्थान देना, उसका शोषण करना, पुरूषों की तुलना में वेतन कम देना जैसी अनेक कुरीतियाँ पनपी। इनका मूल कारण शिक्षा का अभाव था।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा लैंगिक भेदभाव है। यह भेदभाव अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में देखा जाता है। प्राचीन भारतीय महिला न केवल घरेलु कार्य वरन् बाहरी कार्य जैसे – व्यवसाय आदि करती थी। मध्यकाल में पनपी कुप्रथाओं ने इन्हें चारदिवारी में कैद कर दिया और बाहरी कार्य अर्थात नौकरी, व्यवसाय आदि से दूर कर दिया है। अब इनका कार्य क्षेत्र घरेलु कार्य जैसे – खाना बनाना, घर एवं बच्चों की देखभाल करना आदि ही रह गये। अनेक प्रयासों के बाद महिलाओं में फिर से घर के बाहर नौकरी व्यवसाय आदि अनेक कार्य करने प्रारम्भ कीये है। यह माना जाता था कि नारी का कार्य सीमित क्षेत्र तक ही है, जो सरलता पूर्वक किये जा सके, जिसमें ज्यादा मेहनत न लगे। अतः फौज, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्वतारोहण जैसे कार्यों से इन्हें दूर रखा गया लेकिन आज महिलाओं ने इन क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व कायम कर पुरूषों से अधिक प्रभावि ढ़ंग से इन्हे करके दिखाया है।

वर्तमान में भले ही महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है किन्तु आज भी विभिन्न व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों पर उनके साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। उन्हें अबला और कमजोर माना जाता है। महिलाएँ किसी बात का सरलता से विरोध नहीं करती अतः सभी उन्हें दबाकर रखना चाहते है और यही कारण है कि उनके साथ कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव होता है। उन्हें द्विअर्थी समान, यौन उत्पीड़न, अपशब्द, वेतन विसंगति और कार्य में असमानता जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले लैंगिक भेदभाव कों समाप्त करने हेतु स्वतंत्रता पूर्व से ही राजा राम मोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, ड़ॉ भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गॉधी, लार्ड मेकाले आदि समाज सुधारकों ने अनेक प्रयास किये। स्वतंत्रता के बाद भारत में संविधान निर्माताओं ने अनेक नियम बनाकर न केवल लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया वरन् महिलाओं को सशक्त बनाने का भी पूरा प्रयास किया। इन नियमों से अनेक कुप्रथाओं का अंत किया गया जैसे – बाल–विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि। सरकार ने घरेलु हिंसा रोकने के लिए 2005 में और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए 2013 में नये नियम बनाये। इन नियमों में विभिन्न व्यवसायिक कार्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, कार्यालय, चिकित्सा, पुलिस, इंजिनियरिंग, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में द्विअर्थी समान, यौन उत्पीड़न, अपशब्द, वेतन विसंगतियाँ आदि को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। साथ ही बालिका शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे महिलाओं में जागरूकता आई है। वे अपने अधिकारों को समझकर सम्मान सहित समानता के साथ जीवन जीने में सक्षम हुई है।

वर्तमान में महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, इंजिनियरिंग क्षेत्र, मंनोरजंन क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, न्यायपालिका क्षेत्र, दर्शन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, खेल के क्षेत्र, प्रबन्ध क्षेत्र के साथ पुरूषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र जैसे – पुलिस, सेना, पर्वतारोहण, अन्तरिक्ष क्षेत्र, वायु क्षेत्र आदि में भी अपना वर्चस्व बनाया है और पुरूषों से अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करके दिखाया है। कुछ प्रमुख महिलाओं में श्रीमती इन्दिरा गाँधी, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, सुनिता विलियम्स, महादेवी वर्मा, बछेन्द्री पाल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, मदर टेरेसा आदि का नाम शामिल है।

भारतीय सिनेमा एवं समाचार पत्र–पत्रिकाएँ आदि ने भी महिलाओं को जागृत कर उनको सशक्त बनाने में विशेष योगदान दिया है। इनका प्रयास रहा है कि महिलाओं के साथ कभी भी कहीं भी किसी तरह का भेदभाव न हो। इन माध्यमों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। भारतीय सिनेमा एवं समाचार पत्र–पत्रिकाओं ने शिक्षा के विकास में भी सराहनीय योगदान दिया है।

आज शिक्षा के प्रभाव से महिलाओं में बहुत सक्षमता आयी है। आज महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास में सहयोग दिया है। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में महिलाओं ने बहुत योगदान दिया है। आज कोई क्षेत्र महिलाओं की पहुँच से बाहर नहीं है। जिन क्षेत्रों में पुरूषों का एकाधिकार था उनमें भी महिलाओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है।

प्राचीनकाल में गार्गी, मैत्रेयी आदि ने अपना नाम रोशन किया एवं आधुनिक काल में लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा और अब मदर टेरेसा, किरण बेदी, कल्पना चावला, सुनिता विलियम, इन्द्रा गाँधी, प्रतिभा पाटिल आदि ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। देश के विकास में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा है।

इतना होने के बाद भी वर्तमान में कुछ महिलाओं ने तो बहुत विकास किया है किन्तु अनेक महिलाएँ विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए विकास अभी भी दूर की कौड़ी है। इनके सशक्तिकरण , समानता व सम्मान हेतु बहुत से प्रयास करने बाकी है। इसके लिये सर्वाधिक आवश्यक प्रयास लोगों की मानसिकता में बदलाव करना है क्योंकि नियमों के बनने मात्र से कुछ नहीं होता, इनका पालन होना भी आवश्यक है जो लोगों की सोच में बदलाव से ही सम्भव है और सोच में बदलाव हेतु लोगों का शिक्षित होना अनिवार्य है। अतः सरकार के साथ अन्य सामाजिक संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि देश में शत् प्रतिशत लोग शिक्षित हों। विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित किया जाये क्योकि माँ ही बालक की प्रथम गुरू होती है अतः उसका शिक्षित होना अति आवश्यक है।

4.1 समस्या कथन –

कार्यस्थल पर व्यावसायिक भिन्नता एवं लैंगिक भेदभाव का अध्ययन : महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में

4.2 शोध का महत्त्व –

कोई भी शोध यदि प्रासंगिक न हो तो उसका कोई महत्त्व नहीं रहता है। अतः प्रत्येक शोध को प्रासंगिक होना चाहिये। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक असमानता दोनों ही सर्वाधिक प्रासंगिक विषय है। वर्तमान में भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में, वह अति दयनीय है। समाज की गाड़ी दो पहियों, पुरूष एवं महिला पर चलती हैं। इनमें से एक भी कमजोर हो तो गाड़ी

सुचारू रूप से नहीं चल सकती हैं। अतः महिलाओं को भी पुरूषों के समान स्थिति में लाने हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। महिलाओं को जो सम्मान वैदिक काल में प्राप्त था वह धीरे–धीरे उत्तर वैदिक काल में कम हुआ और मध्य काल तक आते–आते उनकी हालत बद से बदत्तर हो गई। वर्तमान में हालांकि इनकी स्थिति में बदलाव हो रहा है फिर भी महिलाएँ आज भी पिछड़ी हुई हैं चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा का क्षेत्र हो।

अनेक समाज सुधारकों के प्रयास संवैधानिक उपायों के साथ–साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार से महिला सशक्तिकरण संभव हो रहा है।

महिलाओं के सशक्तिकरण से महिलाएँ न केवल घर से बाहर निकली है वरन् अनेक संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने लगी है। लेकिन आज भी महिलाओं के साथ घर, समाज एवं कार्यस्थल पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, मारपीट, बालिका के जन्म पर उसे मार देना, वेतन कम देना, समाज में दोयम दर्जा देना, यौन शोषण करना आदि होते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं का अत्यधिक शोषण हो रहा है। इस शोषण को रोकने के लिए महिलाओं में शिक्षा का प्रचार – प्रसार करना होगा। क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएँ ही अपने अधिकारों को समझ कर शोषण के विरूद्ध कदम उठा सकती है।

महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता के लिए स्वतंत्रता पूर्व अनेक समाज सुधारकों जैसे – राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, ईश्वर चन्द विद्यासागर आदि ने अनेक प्रयास किये। ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले को पहली शिक्षित दलित महिला होने का गौरव प्राप्त है। इन दोनों पति पत्नी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया और पहला बालिका विद्यालय खोला।

स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक कानून बनाये इसके बाद भी अनेक सशोधन एवं नये कानूनों का निर्माण कर सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किये। सरकार ने बालिका शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं।

इतना होने पर भी वर्तमान में भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। आज भी भारतीय नारी अत्याचार, असमानता, अशिक्षा, यौन उत्पीड़न की शिकार हैं। इसके अलावा बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाओं के कारण उनको समाज में सम्माननीय स्थान नहीं मिल पाया है।

लैंगिक असमानता एवं महिला सशक्तिकरण दोनों ऐसी ज्वलंत समस्याएँ हैं जिनका निराकरण आवश्यक है क्योंकि देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाएँ पिछड़ी हुई है तो सम्पूर्ण देश का विकास सम्भव नहीं है। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता जैसे – वेतन कम देना, कार्य अधिक देना, द्विअर्थी संवाद करना, यौन उत्पीड़न आदि पायी जाती है। इन्हें समाप्त कर महिलाओं को समान एवं सम्मानजनक स्थान दिलाना आवश्यक है।

इस शोध कार्य से हम इन समस्याओं की गंभीरता को समझ कर इन्हें दूर करने के अब तक के प्रयासों को जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन प्रयासों में कहाँ कमी रह गयी है तथा और कौन से प्रयास है जिनसे महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है और लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। इन प्रयासों से महिलाओं के साथ–साथ सम्पूर्ण देश का विकास सम्भव हो सकेगा।

इस प्रकार यह शोध एक प्रयास है महिलाओं की स्थिति को समझने का जिससे महिलाओं को सशक्त बनाकर लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सके। इस शोध में अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग कर इसे नवीनतम एवं मौलिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिससे यह ज्वलन्त समस्या को उजागर कर उसका समाधान प्रस्तुत कर सके।

4.3 शोध के उद्देश्य –

1. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. नौकरी या व्यवसाय करने से पूर्व एवं पश्चात् निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. नौकरी या व्यवसाय में आने से पूर्व एवं पश्चात् महिला सशक्तिकरण की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभावों को दूर करने के उपायों का अध्ययन करना।

5. विभिन्न व्यवसायों के कारण महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
6. विभिन्न कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

5.0 पूर्व में किये गये शोध कार्यों की समीक्षा –

पूर्व में किये गये शोध कार्यों की समीक्षा निम्नलिखित है :–

शिल्पा एन बिरादर (2015) माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में गडग जिले की एक केस स्टडी

इस अध्ययन में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर माइक्रो फाइनेंस के प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक प्रक्रिया का परीक्षण करना एवं व्यक्तिगत आर्थिक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवायी गई वित्तिय सहायता के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन से ये नतीजे सामने आये है कि माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से भागीदार व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इस कार्यक्रम से महिलाओं को जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ऋण की राशी बहुत कम होने के कारण महिलाओं का बड़े पैमाने पर आर्थिक सशक्तिकरण सम्भव नहीं हो पाया है। इस अध्ययन से इस तथ्य में तो कोई संदेह नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस गरीब महिलाओ को वित्तिय रूप से आत्मनिर्भर बनाता है परन्तु सशक्तिकरण के रूप में माइक्रो फाइनेंस की भूमिका संदेहपूर्ण है।

रथनम्मा, जी. (2015) सहकारी शोधकर्त्ताओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

इस अध्ययन में मुख्यतः कर्नाटक राज्य में महिला सशक्तिकरण में सहकारिता की भूमिका को प्राथमिकता दी गई है। शोध एवं विकासात्मक गतिविधियों द्वारा भी महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है। सहकारिता महिला विकास कार्यों के लिए एक आधारशीला का कार्य करती है। हमारे निति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है

कि किस प्रकार सहकारिता को विस्तृत व सुदृढ़ किया जाए जिससे कि इसकी पहुँच महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्गों तक हो सके। साथ ही इसके द्वारा महिलाओं को एक सशक्त जीवन प्राप्त हो सके। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आये है कि अधिकांश महिलाएँ विभिन्न प्रकार की ऋणदात्री संस्थाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन वे निजी के स्थान पर सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देती हैं। महिलाओं की शैक्षिक, राजनीतिक, एवं सामाजिक सशक्तिकरण में कोई भूमिका दृष्टिगत नहीं होती है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि सहकारीता से महिलाओं को आंशिक रुप से आर्थिक सशक्तिकरण मिलता है, परन्तु इससे अधिक उन्हें इसके द्वारा स्वरोजगार, आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलती है।

जुनो जेस्मीन, जे. (2014) सेवा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारक

इस अध्ययन का उद्देश्य पुदुचेरी कस्बे में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तर को जानना है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया गया है :—

1. महिला सशक्तिकरण और जननांकीय भिन्नताओं के बीच के सम्बन्ध को ज्ञात करना।
2. महिला सशक्तिकरण और संगठनात्मक भिन्नताओं के बीच के सम्बन्ध को जानना।
3. महिला सशक्तिकरण और भावात्मक समझ के बीच संबंध को जानना आदि।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आये हैं कि महिला सशक्तिकरण का स्तर अभी सीमित है, लेकिन भावात्मक समझ, कामकाजी जीवन का संतुलन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता महिला सशक्तिकरण को एक सीमा तक प्रभावित करते हैं। अतः कम भावात्मक समझ एवं संगठनात्मक प्रतिबद्धता वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना उचित होगा। कार्यालयी समय और महिलाओं के अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयों में संतुलन का होना अनिवार्य है। अतः महिलाओं को अपने सशक्तिकरण हेतु स्वयं ही आगे आना होगा जिसके लिये उन्हें उच्च शिक्षा, सही समय पर उचित निर्णय एवं अपने अधिकारों का ज्ञान एवं उन अधिकारों का सही समय पर अनुप्रयोग करना होगा, विशेष रुप से पुरुषों के साथ काम करते समय।

देवी, जी. यमुना (2005) अनन्तपुर जिले में पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पिछड़ी जाति की महिला सरपंचों का अध्ययन

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. पिछड़ी जाति की महिला सरपंचों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना।
2. यह जानना कि पिछड़ी जाति की महिलाओं में किस प्रकार नेतृत्व क्षमता उत्पन्न हो।
3. यह जानना कि वास्तव में उनका कितना सशक्तिकरण हुआ है।
4. उनमें किस सीमा तक राजनीतिक जागरुकता आयी है।

इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आये हैं कि :–

1. युवा महिलाओं में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रति अधिक रुची होती है। जिसके द्वारा वे विकास कार्यों में भाग ले सके।
2. लगभग 63% महिलाएँ निरक्षर है और मात्र 9.5% महिलाएँ ही उच्च विद्यालयी शिक्षा या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर पाती है।
3. इस जिले में सरपंच बनने वाली महिलाएँ सभी प्रमुख धर्मों से संबंधित है।
4. लगभग 84% महिलाएँ एकल परिवार से संबंधित है और मात्र 16% महिलाएँ संयुक्त परिवारों से संबंध रखती है।
5. जहाँ तक वैवाहिक स्थिति का संबंध है लगभग 89% महिलाएँ विवाहित है व शेष या तो तलाकशुदा है या अपने पति से अलग रह रही है।

जावेद, जन्नत (2015) 1994 से 2006 तक नई इथोपियन शिक्षा नीति का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

इथोपिया अफ्रीका का एक गरीब देश है। यहाँ भी भारत की तरह पुरूष प्रधान समाज है। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि नई शिक्षा नीति का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा ? इस अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आए हैं कि शिक्षा के द्वारा महिलाओं का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकास होता है। यहाँ की नई शिक्षा और प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य समाज का लोकतंत्रीकरण और देश का आर्थिक रूपांतरण करना रहा है। इस नीति का मुख्य ध्येय बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी है। मुख्यतः गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया है। पुस्तकों के वितरण में भी बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सतत् मूल्यांकन एवं प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस नई नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन बहुत तेजी से बड़ा है एवं छात्र–छात्राओं की संख्या लगभग बराबर हो गई है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भी प्रति वर्ष बालिकाओं के नामांकन बढ़ रहे हैं।

विसाखोनु हिबू (2012) अंगामी महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण

यह अध्ययन नागालैण्ड की अंगामी जनजातीय महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर आधारित है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में क्या संबंध है ? साथ ही इसके द्वारा महिला साहित्य में वृद्धि करना और समाज में उनके स्तर व समस्याओं को जानना भी है। इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं :–

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव :– हालांकि अंगामी महिलाओं की साक्षरता दर अच्छी है परन्तु वहाँ आधुनिक शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन में उपयोग के रूप में नहीं देखा जाता है। वहाँ का सांस्कृतिक परिवेश भी महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं की गयी है।
2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में गरीबी एक बाधा :– यह भी देखा गया है कि एक बार बालिका काम करने की उम्र तक पहुँच जाती है तो अभिभावक उसकी पढ़ाई बंद करवा देते हैं और उसे गरीबी के कारण मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
3. निर्णय लेने की भूमिका का अभाव :– विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका निर्णय निर्माण में बहुत ही अल्प है परन्तु ऐसा देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है, केवल उन्हें साक्षर करने से सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा।

गेराल्डिन फोर्ब्स (1908) '' The new Cambridge History of India : Women in Morden India. ''

इस शोध से 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में पुरूष सुधारकों द्वारा पारम्परिक मान्यताओं के विरूद्ध महिलाओं के उत्थान की भूमिका पर बल दिया गया है। सुधारकों का यह मानना था कि शिक्षा ही महिलाओं को सशक्त बना सकती है। शिक्षा ही महिलाओं को उनकी समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होती है।

लेखक के अनुसार शिक्षा ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं की विभिन्न रोजमर्रा की समस्याओं को समझने में भी सहायक सिद्ध होती है। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन से पूर्व भी महिला आन्दोलनों का अस्तित्व था। आज भी समाज में उनकी नवीन भूमिका के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए। उन्हें समाज में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से अवगत कराना चाहिए। निष्कर्षतः भारत की आजादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों का महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुँचा है। अतः यदि वास्तव में महिला सशक्तिकरण को साकार करना है तो हमें महिला आंदोलनों को समेकित कर एक ठोस आधार देना होगा।

व्लास्सोफ कै रोल (1994) गरीबी से अमीरी की ओर : एक भारतीय गाँव में महिलाओं की स्थिति पर ग्रामीण विकास का प्रभाव

महिलाओं के लिए समृद्धि, आधुनिकता एवं विस्तृत शिक्षा उन को सशक्त करने और पितृसत्तात्मक संरचनाओं से मुक्त करने के लिए मुख्य साधन है। लेखक के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायता करते हैं और उन्हें अपने पति व अन्य संबंधियों पर आश्रितता से मुक्त करते हैं। वे मानते हैं कि सुदृढ़ महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को उचित शिक्षा दी जाये। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सैद्धान्तिक रूप से शिक्षा महिलाओं को वित्तिय स्वतंत्रता प्रदान करती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से महिलाओं को इसलिये शिक्षित करते हैं कि उन्हें योग्य वर मिल सके न कि नौकरी।

ब्लूम (2001) एक उत्तर भारतीय नगर में महिलाओं की स्वयत्ता और मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव के आयाम

इस शोध में लेखक इस रोचक नतीजे पर पहुँचा है कि शिक्षा महिलाओं को गतिशील होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षा व महिलाओं के निर्णय लेने की शक्ति में एक सकारात्मक संबंध पाया जाता है।

गैरी बेकर और अमर्त्य सेन (1999) विकास स्वतंत्रता के रूप में

इस शोध में यह बताया गया है कि जीवन में स्वतंत्रता का आनन्द ही विकास का महत्त्व है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार महिलाओं की तर्क–वितर्क की क्षमता उनकी शिक्षा, वेतन और कार्य आदि पर निर्भर करती है। यह अध्ययन मुख्यतः शिक्षा और लैंगिक समानता पर केन्द्रित है। इसके अनुसार आधुनिकता और विस्तृत शिक्षा महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज में आर्थिक रूप से प्रबल बनाती है।

पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता : संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों कि स्वतंत्र भूमिका

इस अध्ययन के अनुसार उच्च शिक्षा ही महिलाओं को लैंगिक असमानता से मुक्त करती है। एक शिक्षित पुत्री अपने परिवार को जो समर्थन व सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकती है वह समर्थन दो पुत्र मिलकर भी नहीं दे सकते। गरीब माता–पिता असुरक्षा और आर्थिक दायित्वों के कारण पुत्रों को पसंद करते हैं। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लिंग भेद को समाप्त करने का मुख्य साधन महिलाओं शिक्षा और वित्तीय अधिकार देना है।

डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसा : शिक्षा और रोजगार की भूमिका

इस अध्ययन से ये तथ्य सामने आये हैं कि शिक्षित महिलाएँ ही अशिक्षित महिलाओं को उनके अधिकारों व विशेषाधिकारों से अवगत करवा सकती हैं। समुदाय स्तर की गतिविधियाँ एवं क्रेडिट आधारित समूहों में महिलाओं की भागीदारी उनकी शिक्षा पर निर्भर करती हैं। महिलाओं को सम्मान व समानता के साथ अन्य महिलाओं के साथ कार्य करने की आन्तरिक शक्ति एवं आत्मविश्वास शिक्षा से प्राप्त होता है।

बी. एम. शर्मा (2005) महिला एवं शिक्षा

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में महिला सशक्तिकरण पर गांधीजी के विचारों पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में महिलाओं की स्थिति के अधार पर महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के महत्त्व का विश्लेषण किया गया है। एक अन्य अध्याय में शोधकर्त्ता ने विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर से पलायन करने के कारणों पर चर्चा की है। यह पुस्तक भारत में महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छे ढ़ंग से प्रस्तुत करती है।

मिनाक्षी मल्होत्रा (2004) महिलाओं का सशक्तिकरण (3 खण्डों में से)

इनका कार्य मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। प्रथम खण्ड में उन्होंने श्रम बाजार और उद्यमिता में लैंगिक असमानता पर विस्तार से चर्चा की है। दूसरे खण्ड में महिला सशक्तिकरण के लिये माइक्रो फाइनेंस पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिसके लिये उन्होंने भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिये माइक्रो क्रेडिट योजनाओं और माइक्रो फाइनेंस आन्दोलनों पर विवरण प्रस्तु किया गया है।

तीसरे खण्ड में लेखिका ने महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उनकी भूमिका का वर्णन किया है।

संगीता पुरूषोथमन् (2003) भारत में महिला सशक्तिकरण

इस शोध में महिलाओं के आधारभूत आंदोलनों पर चर्चा की गई है जिसके लिये सामाजिक आन्दोलन सिद्धान्त, विकास सिद्धान्त और राज्यों के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये एक अनौपचारिक व गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाये गये कार्यक्रम ''स्वयं शिक्षण प्रयोग'' को आधार बनाया गया है। इस अध्ययन में गरीब महिलाओं के उत्थान और उनके विकास कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ाने हेतु प्रयास का वर्णन किया गया है। लेखिका का यह मानना है कि विकेन्द्रिकृत और कमजोर संरचनात्मक संगठन वास्तव में गरीब महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रेरित करते हैं।

जे. भाग्यलक्ष्मी (2004) महिलाओं का सशक्तिकरण : दूर की कौड़ी

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिये कई कदम उठाये हैं। महिला केन्द्रित कार्यक्रमों द्वारा अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं परन्तु समस्याओं की विशालताओं को देखते हुए अभी मंजिल बहुत दूर नजर आती है। हमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले शारीरिक व मानसिक हिंसाओं और घरेलू व सामाजिक स्तर पर होने वाली हिंसाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। शोधकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि बालिकाओं के खिलाफ होने वाला भेदभाव और हिंसा यदि जड़ सहित समाप्त करनी है तो, परिवार के भीतर एवं बाहर मजबूत कदम उठाने होंगे। महिलाओं का कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में योगदान को ठीक ढ़ंग से नहीं पहचाना गया है। अतः महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं विभिन्न कार्य योजनाओं से जोड़ना होगा।

के. मनोहरन नैयर और गिरिजा बी. (2005) माइक्रो फाइनेंस – गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण हेतु नवीन विकास का आयाम

ऐसा देखा गया है कि संगठित ऋण–दात्री संस्थाओं द्वारा चलाये गये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। अतः नाबार्ड की माइक्रो फाइनेंस योजना मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने में महत्त्वपूर्ण

भूमिका निभा सकती है, जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण सम्भव दिखाई पड़ता है।

लक्ष्मी आर. कुलश्रेष्ठ (2000) माइक्रो फाइनेंस : गरीब ग्रामीण महिलाओं हेतु नवीन विकास का आयाम

शोधकर्त्ता के अनुसार पूँजी की कमी ही गरीब महिलाओं के लिए विकास में बाधा बनती है, इसके अतिरिक्त वैधानिक प्रावधानों, ऋण नीतियों और प्रक्रियाओं की जटिलताओं के कारण महिलाएँ ऋण प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। यह अध्ययन यह दिखाता है कि यदि महिलाओं को सरलतापूर्वक ऋण मिल जाए तो वे अपने परिवार को एक मजबूत आधार दे सकती है।

सुनील अग्रवाल (2003) के अनुसार ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन की अच्छी समझ होती है। अतः वे ग्रामीण भारत को पुनः पोषित करने और पुनः हरा–भरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आधुनिक विज्ञान व तकनीकी सहायता से महिलाओं का कार्यभार घर के अन्दर और बाहर दोनो क्षेत्रों में कम किया जा सकता है। अतः उनके अनुभव और ज्ञान की सहायता से पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार किया जा सकते हैं जिसके लिये उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा।

करूणा, करूणा (2008) विकास एवं लैंगिक भेदभाव : हरियाणा का एक अनुभवात्मक अध्ययन

यह शोध हरियाणा में विकास और लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों के अध्ययन पर आधारित है। राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन 2001 के अनुसार जहाँ पंजाब और हरियाणा में उच्च आय स्तर उन्हें विकसित राज्य का दर्जा देती है परन्तु वहाँ बढ़ती लैंगिक असमानता भी एक बड़ी सच्चाई है। सम्पूर्ण देश में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इस शोध का उद्देश्य यही है कि हरियाणा के विकास कों लैंगिक असमानता को दूर करने के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाए ? साथ ही लैंगिक असमानता के उप–समूहों का लैंगिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे शिक्षा व कार्य का स्तर, सामाजिक समूह, आयु, वैवाहिक स्थिति, जीवन स्तर, और परिवार के सदस्यों की आय। इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

1. हरियाणा पूरे देश में लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। अर्थात वहाँ के आर्थिक विकास का लैंगिक असमानता को कम करने में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।
2. हरियाणा में लैंगिक असमानता की जड़े हमें वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में तलाश करनी चाहिए।
3. यदि हरियाणा में लैंगिक समानता को स्थापित करना है। तो वहां आर्थिक बदलाव, जनभागीदारी में वृद्धि और सामाजिक आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।

बसुदेवायः, जी. (2012) स्वयं सहायता समूह से साक्षरता प्राप्ति एवं महिला सशक्तिकरण : आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले का एक अध्ययन

इस शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है :—

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में शिक्षा—प्राप्ति के स्तर को जानना।
2. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर शिक्षा प्राप्ति के प्रभावों का पता लगाना।
3. महिला सशक्तिकरण और निजी चरों के प्रभावों के आपसी सह संबंध को जानना।
4. महिला सशक्तिकरण और साक्षरता कौशल के सह संबंध को जानना आदि।

इस शोध से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए है :—

1. आयु, जाति, रहवास, वैवाहिक स्थिति, पेशा, आय, साक्षर होने के बाद की अवधि, समाचार—पत्र पढ़ने की आदत जैसे कारक महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करते है।
2. महिला सशक्तिकरण का सकारात्मक दृष्टिकोण मुख्यतः 15—30 आयु वर्ग में, ऊँची जातियों में, नगरीय समूह, अकृषि व्यवसायों, कम आय वर्ग और समाचार पढ़ने की प्रवृति वालों में देखा गया।
3. इस प्रकार महिला सशक्तिकरण को तभी साकार किया जा सकता है जब हम अपना ध्यान युवाओं और सतत् शिक्षा कार्यक्रम पर देंगे।

शोध अन्तराल —

पूर्व में किये गये शोध कार्यो की समीक्षा से यह पाया गया है कि अब तक महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक असमानता पर अनेक कार्य किये गये है। इन शोध

कार्यो में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है और उनको सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा की गई है। इन शोध कार्यो में आर्थिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्त्व देते हुए माइक्रो फाइनेंस द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने पर अधिक बल दिया गया है।

लैंगिक असमानता पर किये गये शोध कार्यो में लैंगिक असमानता के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों पर बल दिया गया है।

लेकिन कहीं पर भी विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है।

इस अंतराल कों दूर करने का प्रयास यह नवीन शोध है। इस शोध कार्य के माध्यम से शोधकर्त्ता यह पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि अलग–अलग व्यवसायों में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। उनके साथ अगर समानता का व्यवहार नही होता है तो इसके क्या कारण है ? इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। इनके लिये शोधकर्ता विभिन्न विभागों से तथ्य जुटाकर अपने शोध को नवीन, रचनात्मक एवं प्रासंगिक बनाने का प्रयास करेगा। यह शोध कार्य व्यावसायिक भिन्नता को एवं लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर महिलाओं को सशक्त करने के उपाय प्रस्तुत करेगा जो सरकार एवं समाज के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे।

शोध परिकल्पना –

1. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. नौकरी या व्यवसाय करने से पूर्व एवं पश्चात् निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. नौकरी या व्यवसाय में आने से पूर्व एवं पश्चात् महिला सशक्तिकरण की स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभावों को दूर करने के दिये गये उपायों में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. विभिन्न व्यवसायों के कारण महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अन्तर नहीं है।
6. विभिन्न कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव में सार्थक अन्तर नहीं है।

7. महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक भेदभाव पर पड़ने वाले प्रभावों में सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसंधान क्रियाविधि –

8.**शोध विधि** –

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जाएगा।

शैक्षणिक अनुसन्धान में सर्वेक्षण विधि का अत्यधिक महत्त्व है। यह व्यापक रूप में व्यवहार में ली जाने वाली विधि है ।

सर्वेक्षण विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत किसी भी घटना या स्थिति के बारे में स्वय देखकर जानकारी प्राप्त कि जाती है और सम्बन्धित सही सूचनाओं का संकलन किया जाता है।

8.1 शोध न्यादर्श –

शोधकर्ता ने शोध न्यादर्श के रूप में जोधपुर शहर के शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक मजदूर एवं राजनीतिक क्षेत्रों के 100–100 लोगों को शामिल किया जायेगा। विभिन्न व्यवसाय से कुल 400 लोगों का न्यादर्श लिया जायेगा।

8.2 शोध उपकरण–

शोधकर्ता के द्वारा शोध कार्य में स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

8.3 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी–

8.4.1 मध्यमान

8.4.2 प्रमाण विचलन

8.4.3 टी–प्राप्तांक, अनोवा – (एफ परीक्षण)

8.4.4 सहसम्बन्ध

8.5 **शोध परिसीमन.**

शोध कार्य हेतु जोधपुर जिले का चयन किया गया है। जोधपुर जिले के शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजनीतिक क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र (दैनिक मजदूर) के लोगों को विशेष रूप से महिलाओं को शामिल किया गया है।

8.6 **शोध कार्य योजना** –

वर्तमान शोध अध्ययन को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से प्रस्तुत करने हेतु शोधार्थी अपने शोध विषय को निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत करेगा –

अध्याय प्रथम –

समस्या व उसकी आवश्यकता, प्रथम अध्याय में शोध कार्य कि प्रस्तावना, समस्या कथन विषय चयन कि आवश्यकता, समस्या का महत्त्व, अध्ययन का औचित्य अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पनायें न्यादर्श परिसीमांकन प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय द्वितीय –

संबंधित साहित्य का अवलोकन – वर्तमान शोध कार्य के द्वितीय अध्याय में प्रस्तावना से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन का अर्थ अध्ययन का महत्व, लाभ, सीमाएं, अध्ययन के स्त्रोत, साहित्य का संग्रहण, विदेशो में हुए शोध एवं भारत में हुए शोध का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय तृतीय –

शोध अध्ययन की प्रक्रिया, वर्तमान शोध कार्य के उद्देश्य, शोध प्रारूप का अर्थ, शैक्षिक अनुसन्धान की विशेषताएं, शोध विधि, प्रश्नावली, न्यादर्श दत्तो का सारणीयन, सांख्यिकी का अर्थ व परिभाषा आदि विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

अध्याय चतुर्थ –

दत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन वर्तमान शोध कार्य के चतुर्थ अध्याय में दत्तों का सारणीयन करते हुए विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय पंचम –

निष्कर्ष एवं सुझाव – वर्तमान शोध कार्य के पंचम अध्याय में दत्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं भावी शोध हेतु सुझावों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय षष्टम –

शोध सारांश – संपूर्ण शोध कार्य का सारांश अंतिम अध्याय में प्रस्तुत किया जायेगा ।

1. **उपसंहार**
2. **संदर्भ–ग्रन्थ सूचि**
3. **Web Address.**

निष्कर्ष –

इस शोध के माध्यम से हम भारत में विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे एवं प्राचीन काल में जो सम्मान एवं स्थान उनको प्राप्त

था, वही उन्हे दिलाने का प्रयास करेंगे। इस शोध से न केवल महिलाओं में जागृति लाने का प्रयास होगा वरन् सम्पूर्ण समाज की सोच में बदलाव के प्रयास किये जायेंगे।

हम इस शोध से यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में महिलाओं की उच्च स्थिति के पीछे शिक्षा की क्या भूमिका रही है ? क्या उस समय की महिलाएँ पढ़ी–लिखी हाने के कारण ही अपने अधिकारों को जानती थी और हर क्षेत्र में विकास कर रही थी ?

मध्यकाल में शासकों के विलासितापूर्ण जीवन एवं जोर जबरदस्ती के कारण महिलाओं को घर की चार दिवारी में कैद कर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया।और शिक्षा के अभाव में उनकी दशा खराब होती गई, और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि, ''ढ़ोर, गँवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी'' इस कथन से स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति पशु समान हो गई थी।

लेकिन आधुनिक काल में स्वतंत्रता पूर्व से ही अनेक समाज सुधारकों ने अपने अथक प्रयासों से अनेक कुरीतियों को समाप्त करवाया। साथ ही उन्होंने बालिका शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सके। समाज के झूठ एवं छलावे को समझ कर अपना बचाव कर सके।

भारत की आजादी से लेकर अब तक तो सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक संवैधानिक एवं सामाजिक नियम बनाये हैं। इनमें सती प्रथा निषेध, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रथा निरोधक कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम (2013) आदि प्रमुख है।

भारत में लैंगिक असमानता भी देखने को मिलती है। यह घरेलू, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। विशेष रूप से कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है, उनसे अधिक कार्य लिया जाता है क्योंकि वे विरोध नहीं करतीं। अपषब्दों का प्रयोग, यौन उत्पीड़न, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग, वेतन वृद्धि व पदोन्नति में पक्षपात किया जाता है।

इस प्रकार भारत में कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। हम इस शोध के माध्यम से महिलाओं की वर्तमान

वास्तविक स्थिति का पता लगाने के साथ–साथ उनको सशक्त बना कर उनके साथ हो रहे असमानता के व्यवहार को समाप्त करने के विभिन्न प्रयासों को जानने एवं उनको लागू कर नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। संचार के साधनों जैसे – समाचार पत्र, दूरदर्शन, सिनेमा के द्वारा महिला जागृति, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता दूर करने के लिये किये गए प्रयासों को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसमें अनुभव के प्रयोग से शोध को नवीनतम बनाने का प्रयास रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ –

1. देसाई नीरा और ढ़क्कर, ऊषा, वूमेन इन इण्डियन सोसायटी, इण्डिया नेशनल बुक ट्रस्ट
2. कोशिक, आशा (2004) नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ जयपुर, पोइस्टर पब्लिषरस
3. सिंह, राजेन्द्र (2001) : सोशियल मूवमेन्टस, आल्ड एवं न्यू : पोस्ट मोर्ड सिटी फ्रिटिक, नई दिल्ली
4. ब्राउन (1994) साबुन ओपेरा और महिलाओं की बात और प्रतिरोध की खुशी
5. गोफमैन (1978) लिंग विज्ञापन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
6. कुहन (1985) नारी छवि की शक्ति – प्रतिनिधित्व और कामुकता पर निबंध
7. एल. एंड मान डी. (1992) टेलीविजन और महिला उपभोक्ता, मिनियापोलिस : मिनेसोटा विश्वविद्यालय प्रेस
8. डॉ. शोभा गुप्ता व अशोक भार्गव (2015) महिला सशक्तिकरण का अर्थ एवं आवश्यकता, राष्ट्रीय सम्मेंलन जोधपुर में वाचन किये गये पत्रों के संकलन में प्रकाशित लेख
9. वी. एन. सिंह और जन्मेज्य सिंह (2010) आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण
10. शिल्पा एन बिरादर (2015) माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में गडग जिले की एक केस स्टडी, शोध कार्ये कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, कर्नाटक
11. रथनम्मा, जी. (2015) सहकारी शोधकर्त्ताओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण , शोध कार्य, मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक

12. जुनो जेस्मीन, जे. (2014) सेवा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, शोध कार्य, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय
13. देवी, जी. यमुना (2005) अनन्तपुर जिले में पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पिछड़ी जाति की महिला सरपंचों का अध्ययन
14. जावेद, जन्नत (2015) 1994 से 2006 तक नई इथोपियन शिक्षा नीति का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव, शोध कार्य, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली
15. विसाखोनु हिबू (2012) अंगामी महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण , शोध कार्य, नागालैंड़ विश्वविद्यालय, नागालैंड़
16. गेराल्डिन फोर्ब्स (1998) The new Cambridge History of India : Women in Morden India. Vol. – IV, Cambridge : Cambridge University Press,1996, pp. 289.67 perspectives.
17. व्लास्सोफ कारोल (1994) गरीबी से अमीरी की ओर : एक भारतीय गाँव में महिलाओं की स्थिति पर ग्रामीण विकास का प्रभाव, एल्सेवियर साइंस लिमिटेड़, भाग – 22, संख्या – 5, 1994, पृष्ठ संख्या – 707–19.
18. ब्लूम (2001) एक उत्तर भारतीय नगर में महिलाओं की स्वयत्ता और मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव के आयाम, ड़ेमोग्राफी, भाग–38, संख्या–1.
19. गैरी बेकर और अमर्त्य सेन (1999) विकास स्वतंत्रता के रूप में, ओक्सफॉर्ड़ विश्वविद्यालय प्रेस, न्यू यॉर्क 1999, पृष्ठ संख्या, 189–194.
20. पांडे और एस्टोन (2001) ग्रामीण भारत में पुत्र प्राथमिकता : संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों कि स्वतंत्र भूमिका, जनसंख्या और विकास समीक्षा, भाग–11, संख्या–2
21. डूवरी, एन. और के. एल्लनडोर्फ (2001) भारत में घरेलू हिंसा : शिक्षा और रोजगार की भूमिका, छठे महिलाओं की राजनीति शोध सभा, महिलाओं की स्थिति : भविष्य निर्माण के तथ्यों का आवरण, जून 8–9, 2001, वाशिंगटन डी सी.
22. बी. एम. शर्मा (2005) महिला एवं शिक्षा, कॉमनवेल्थ प्रकाशक, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 378

23. बसुदेवायः, जी. (2012) स्वयं सहायता समूह से साक्षरता प्राप्ति एवं महिला सशक्तिकरण : आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले का एक अध्ययन, शोध कार्य, श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय
24. करूणा, करूणा (2008) विकास एवं लैंगिक भेदभाव : हरियाणा का एक अनुभवात्मक अध्ययन, शोध कार्य, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब.
25. शिरिश बालिया, रीता अरोड़ा, ओ. पी. शर्मा : शिक्षा में मापन एवं मुल्यांकन
26. एच. के. कपिल : सांख्यिकी के मूल तत्त्व
27. पारसनाथ राय : शोध कार्य पद्धति
28. राजस्थान पत्रिका
29. दैनिक भास्कर
30. Pachauri, S. K. (2010) "Women And Human Rights", APH Publishing corporation, Delhi.
31. Kumar J. & Sangeeta, (April 213) status of Women Education confab vol. 2, No. 4, Page No. 162-176.
32. Government of India (1975) "Towards Equality" Report of the Committee on the Status of Women in India.
33. Neera Desai and Amit Kumar Gupta (1987) "Women and Society in India", Ajantha Publications, Delhi.
34. Jaspal Singh (2011) "Rights of Women Under the Indian Constitution" Indian Bar Review Volume (1 & 2).
35. Sharadha Deva (Nov. – 2014) "Sexual Harassment of Women at Workplace – A Legal Mayth", Journal of India Education, Vol. – XXXX, No. – 3.
36. Dubhadhi, Medha, "Mobilizing women through government and non-government organizations". Indian journal of Aducation, Vol. - 49, No. - 2.
37. Nath pramanik rathindra, (2006), gender Lhequality and women's empowerment,abhijeet publication Delhi

38. Aggarwal, P. S., “Women Education in India (1995-1998)” Concept.
39. Naila Kabeer, “Research study on empowerment of women”.
40. Bhattacharyyaa, Gayatri (2002) “Empowerment of women : A case study in Kolkata”.
41. Daniel W. C. Royal, “Non-governmental organization working for women-self employed women’s association (SEWA) – in Gujarat”, Deep Publication, New Delhi.
42. Guire and Conroy, “Women and society equality and empowerment, Kanishka Publications, New Delhi.
43. Yadav, Surender, “Level of education and socio-economic condition of women and impact on fertility level in rural India”, Vikas Publishing House, New Delhi.
44. Tripathy, S. N., “Women in informal sector”, Ambala publication New Delhi.
45. Punam Kumari, “A study entitled rural women at work”, Gyan publishing house, New Delhi.
46. Mahajan V. S., Women’s Contribution to India’s Economic and Social Development, Deep and Deep Publications, New Delhi.
47. The Hindustan Times.
48. The Times of India.

WEB ADDRESS –

1. India.gov.in/index.php
2. www.wcdhry.gov.in
3. www.new.gov.in/index.php
4. ncw.nic.in
5. cgmahilaaayog.com/women_rights.php
6. en.wikipedia.org
7. www.wcd.rajasthan.gov.in
8. shodhganga

9. shodhgangotri
10. www.rajasthanpatrika.com
11. www.dainikbhaskar.com
12. www.gender.com.ac.uk
13. www.genderstuddies.org.
14. www.genderparddigm.com/publiscation/html.

Signature of the Candidate with date

Outline Approved

Name and Signature of the Supervisor with date & Seal.